शोध मंथन Vol. XVI No.3 July.- Sept. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.52

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन

प्राप्तिः 01.08.2025
स्वीकृतः 10.09.2025

52

डॉ0 मधु माहौर
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा विभाग)
श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़
ईमेलः*madhumahor189@gmail.com*

प्रो0 शान्ती स्वरूप
प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश

बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करती है, उनके विकास में बाधा डालती है, और उनके अधिकारों का हनन करती है। यह समस्या मुख्यतः विकासशील देशों में पायी जाती है, जहॉ गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता के कारण बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर होते है। बाल श्रम के कारण बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होते है। वे शिक्षा से वंचित रहते हैं जिससे उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते है। इसके अलावा बच्चों को खतरनाक कार्यो में शामिल किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों और समाज को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा का प्रसार, आर्थिक समर्थन और सख्त कानून का पालन बाल श्रम को समाप्त करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, जन जागरूकता अभियान भी आवश्यक है ताकि समाज में बाल श्रम के खिलाफ संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित हो सके। बाल श्रम को समाप्त करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यह बच्चों के भविष्य और समाज के स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में बाल श्रम एक चुनौती का विषय बन गया है। देश में काम–काजी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जातिवाद, गरीबी तथा शिक्षा का स्तर आदि बाल श्रम जैसी समस्या के लिए उत्तरदायी है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें सभी वर्गो में जागरूकता लाने के साथ–साथ स्वयं की मानसिकता को बदलने की जरूरत हैं। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अधिकांशतः पिछड़ी जातियों तथा अति पिछड़ी जातियों से ही होते है जिसका एक बड़ा कारण शिक्षा की कमी तथा चेतना की कमी है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक तथा नैतिक विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चों

को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है। बाल श्रम समय से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है। आवश्यकता से अधिक समय तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण स्कूल में नही आ पाते। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि ये बाल श्रमिक इन संस्थानों के माध्यम से मजदूरी के साथ–साथ शिक्षा का लाभ उठा पा रहें है अथवा नही।

मुख्य बिंदु

बाल श्रमिक, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति

प्रस्तावना

हमारे देश का भविष्य बच्चों में नीहित है। यह देश के भावी कर्णधार है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। फिर भी आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों बच्चे शोषण का शिकार हो रहे है। शारीरिक व मानसिक श्रम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। गांव से लेकर शहरों तक कारखानों तथा दुकानों में लम्बे समय से बाल श्रमिक काम करते है। जिन बच्चों के हाथ में कॉपी, कलम, किताब व पेन्सिल होनी चाहिए उन हाथों में औरों के जूते पॉलिश करने के ब्रश, हथौड़े, झाडू तथा कूड़े उठाने के थैले होते है जिसके मकड़जान में इन बच्चों की जिंदगी पिसती जा रही है।[1]

विकासशील देशों में किसी भी रूप में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। अनेक बच्चे दासत्व, अर्द्व गुलामी, देह व्यापार जैसी परिस्थितियों में कार्य कर रहें है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशन 'बालश्रम और लक्ष्य 1996 के अनुसार सभी विकासशील देशों में 5–14 वर्ष आयु वर्ग में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या 120 मिलियन है परंतु आई. एल. आ. ने बाद में 2000 में अनुमान लगाया कि विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 180 मिलियन थी और यदि दूसरी अन्य गतिविधियों को शामिल कर लिया जाता है तो यह आंकड़ा 250 मिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण एशिया में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है और भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक लगभग 20 मिलियन है। फिर भी यदि हम मुख्य बाल श्रमिकों की संख्या में सीमांत बाल श्रमिकों की संख्या मिला दे ंतो यह आकडा लगभग 25 मिलियन हो जाएगा। यद्यपि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है परंतु अकेला कारण नही है। देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, प्रौढ़ शिक्षा का अभाव, बड़े परिवार प्राकृतिक आपदा, कृषि में ंबेरोजगारी, जानकारी का अभाव आदि भी बाल श्रम के कारण हैं, विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों में। आम तौर पर बाल श्रम उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है जहॉ गरीबी, भूख, अशिक्षा, कुपोषण और व्यस्कों को कम मजदूरी की समस्याएं मौजूद है।[2]

परिभाषा

''जब बच्चा किसी ऐसे काम में संलग्न होता है, जो उनको अवकाश, खेलकूद एवं शिक्षा से वंचित करता है तो उसे बालश्रमिक कहा जाता है। इस प्रकार बाल श्रमिक वह बच्चा है जिसने 14 वर्ष की आयु को पूरा नही किया तथा जो मजदूरी सहित या मजदूरी रहित किसी के लिए काम करता है।''[3]

''अधिकार आधारित उपागम के आधार पर बाल श्रमिक में वे सभी बच्चे शामिल है, जो विद्यालय से बाहर है, भले ही वह कृषि में, उद्योग में या घर में काम कर रहें है।''[4]

- बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 1 में किसी बच्चें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.52

- 1973 का अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय सं. 138 बाल मजदूरी को 15 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आर्थिक गतिविधि का उल्लेख करता है बशर्ते 15 वर्ष अनिवार्य स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की उम्र से कम न हो।
- बाल मजदूरी के (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चें को किसी कारखाने या खान में काम में नही लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नही किया जाना चाहिए।[5]

बालेश्वर पाण्डेय ने अपनी पुस्तक श्रम कल्याण एवं औधोगिक सम्बंध में यह अध्ययन किया कि श्रम के अन्तर्गत उन समस्त प्रावधानों को समावेश होना चाहिए जो श्रमिकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक हैं। श्रम कल्याण के अंतर्गत आवास–व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शैक्षिणिक सुविधाएं, आराम तथा मनोरंजन की सुविधाएं अवकाश गृह, सामाजिक बीमा सम्बन्धी सुविधाए बीमारी तथा पेंशन, अपंग श्रमिकों के पुस्थापन की व्यवस्था आदि उपादानों को सम्मिलित करना चाहते है।[6]

बाल मजदूरी प्रथा का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा व्यस्को की बेरोजगारी तथा कम मजदूरी है। बाल मजदूर प्रथा का उन्मूलन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों से नही हो सकता। इसके लिए समाज के सभी तबको यथा स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्वजीवियों, पत्रकारों, श्रम संघों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों आदि को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए।[7]

बाल श्रम दृष्टिकोण (विजन) और उद्देश्य

विजन सभी कार्यो में बाल श्रम और खतरनाक कार्यो में किशोर श्रम को पूर्णतः समाप्त करना और किशोर श्रम का विनियमन करना।

उद्देश्य मानक प्रचालन प्रकिया की परिकल्पना, हस्तक्षेप की अलग–अलग अवस्थाओं में सरकारी, गैर सरकारी और सिविल सोसायटी के संगठनों के कायकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए कानून लागू करने के सक्रिय साधन के रूप में की गई है। मानक प्रचलन प्रक्रिया के माध्यम से कथित दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए–

- बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्य में लगे किशोर श्रमिकों को रोकने के लिए ग्राम स्तर से राष्ट्रिय स्तर तक प्रभावी कार्य योजना तैयार करना।
- बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्य में लगाए किशोर श्रमिकों की पहचान, बचाव और पुर्नवास के लिए तंत्र तैयार करना।
- मनोरंजन संबंधी उद्योगों और खेल–कूद संबंधी क्रियाकलापों में कार्यरत बच्चों के विनियमन के लिए तंत्र स्थापित करना।
- बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्यो में किशोर श्रमिकों के सभी मामलों में कठोर जांच सुनिश्चित करना, ताकि अपराधियों के विरूद्व अभियोजन को बल मिल सके।
- स्टेकहोल्डरों की भुमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके स्टेकहोल्डरों द्वारा समन्वित और समरूपी कार्रवाई सुनिश्चित करना और इस तरह पूरे देश में बाल श्रम के उल्लंघन के विरूद्व की जाने वाली कार्रवाई का मानकीकरण सुनिश्चित करना।
- जिला, राज्य और केंन्द्रिय स्तर पर मॉनीटरिंग और उत्तरदायी तंत्र विकसित करना।[8]

बाल श्रम उन्मूलनः सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन के प्रयास

सरकारी संस्थान

- श्रम विभाग की ओर से जिले में लगभग 25 श्रम विद्यालय खोले गये।

गैर सरकारी संस्थान

- केयर एण्ड फेयर इंडिया जिसमें 20 बाल श्रम विद्यालय खोले गये।
- बालाश्रय रगमार्क जिसमें 10 बाल श्रम विद्यालय चलाये गये।
- अन्य गैर सरकारी संस्थान है जो बाल श्रम विद्यालय चला रहीं हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''बच्चे राष्ट्र के भविष्य निधि हैं, हमारे राष्ट्रीय बगीचे के राष्ट्रीय फूल हैं हमारा ये दायित्व है कि हम इन फूलों की रक्षा करें।'' बाल श्रम, जो बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप शिक्षा और बचपन से वंचित करता है, एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक समस्या है। यह मुद्दा मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के कारण उत्पन्न होता है। कई परिवार आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है।

अत्यंत चिंता का विषय है प्रतिदिन बाल श्रमिकों को कूड़ा उठाते, भीख मांगते, कारखानों में, दुकानों में काम करते देखा जा सकता है। हम कहते है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलायेगा परन्तु ये सपना कैसे पूरा होगा जिस देश के भविष्य निधि का ये हाल है। शोध के अनुसार, बाल श्रम के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, जिससे वे भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित रह जाते है। इसके अलावा, बाल श्रम का बच्चों की सेहत पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अक्सर खतरनाक और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते है। समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं हो सकता, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा की पहुँच को आसाान बनाने और परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का हकदार हो, जिससे बाल श्रम की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

समस्या का कथन

''सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन।
2. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
3. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.52

परिकल्पना

1. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है।
2. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है।
3. जनपद बुलंदशहर के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है।

पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

बाल श्रमिकः प्रत्येक देश के कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु वर्ग के व्यक्ति बाल श्रमिक कहलाते है।[9]

सरकारी संस्थानों द्वारा प्रायोजित बाल श्रमिक

5 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों के लिए ऐसा विद्यालय जो सरकारी संस्थान (श्रम प्रवर्तन विभाग) द्वारा संचालित और अनुदानित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्रायोजित बाल श्रमिक

5 से 14 वर्ष के बालश्रमिकों के लिए ऐसा विद्यालय जो गैर सरकारी संस्थान (N.G.O.) द्वारा संचालित और अनुदानित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति

सामाजिक–आर्थिक पैमाने पर किसी व्यक्ति की स्थिति है जो आय, शिक्षा, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और निवास स्थान जैसे सामाजिक–आर्थिक कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है।[10]

शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी भली–भांति कर सकता है।[11]

अध्ययन का परिसीमन

शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के 3 सरकारी बाल श्रम विद्यालय, 3 गैर सरकारी बाल श्रम विद्यालयों का चयन किया गया।

अध्ययन के चर

स्वतन्त्र चर – सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान

आश्रित चर – बाल श्रमिक

न्यायदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में जनपद बुलंदशहर जिले के 3 बाल श्रम विद्यालयों में से 60 सरकारी तथा 60 गैर सरकारी संस्थानों के 120 विद्यार्थियो का यादृच्छिक ढंग से चयन किया गया।

शोध उपकरण

- सामाजिक–आर्थिक स्थिति के मापन हेतु शोधार्थी ने स्वनिर्मित सामाजिक–आर्थिक स्थिति मापनी का निर्माण किया।

- शैक्षिक उपलब्धि का निर्धारण विधार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी विधियॉ

प्रस्तुत अध्ययन में आकडों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा CR मूल्य ज्ञात किया गया।

आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी सं.1

सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सार्थक अन्तर नही है। .

संस्था	विधार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	CR	सार्थकता स्तर	शून्य परिकल्पना
सरकारी संस्थान	60	53.206	13.5	3.89	.01	.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अंतर नही है।
गैर सरकारी संस्थान	60	40.144	14.9		.05	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी संस्थानों की सामाजिक स्थिति का मध्यमान 53. 206 तथा गैर सरकारी संस्थानों की सामाजिक स्थति का मध्यमान 40.144 है। .01 सार्थकता स्तर का मान 2.58 व .05 सार्थकता स्तर पर 1.96 है। इन दोनों मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए CR मूल्य की गणना की गई जिसका मान 3.89 प्राप्त हुआ। प्राप्त CR का मान दोनों विश्वास स्तर के मानों से अधिक है इस प्रकार .01 विश्वास स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत पायी गयी। अर्थात सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है। अतः परिकल्पना 1 अस्वीकृत की जाती है।

सारणी सं. 2

सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सार्थक अन्तर नही है। .

संस्था	विधार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	CR	सार्थकता स्तर	शून्य परिकल्पना
सरकारी संस्थान	60	51.034	13.6	4.95	.01	.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अंतर नही है।
गैर सरकारी संस्थान	60	39.387	15.1		.05	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी संस्थानों की आर्थिक स्थिति का मध्यमान 51. 034 तथा गैर सरकारी संस्थानों की आर्थिक स्थिति का मध्यमान 39.387 है। .01 सार्थकता स्तर का मान 2.58 व .05 सार्थकता स्तर पर 1.96 है। इन दोनों मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए CR मूल्य की गणना की गई जिसका मान 4.95 प्राप्त हुआ। प्राप्त CR का मान दोनों विश्वास स्तर के मानों से अधिक है इस प्रकार .01 विश्वास स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत पायी गयी। अर्थात सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है। अतः परिकल्पना 3 अस्वीकृत की जाती है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.52

सारणी सं. 3

सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति में सार्थक अन्तर नही है।

संस्था	विधार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	CR	सार्थकता स्तर	शून्य परिकल्पना
सरकारी संस्थान	60	15.5	3.66	0.03	.01	.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अंतर है।
गैर सरकारी संस्थान	60	15.52	3.69		.05	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी संस्थानों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 15. 5 तथा गैर सरकारी संस्थानों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 15.52 है। .01 सार्थकता स्तर का मान 2.58 व .05 सार्थकता स्तर पर 1.96 है। इन दोनों मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए CR मूल्य की गणना की गई जिसका मान 0.03 प्राप्त हुआ। प्राप्त CR का मान दोनों विश्वास स्तर के मानों से कम है इस प्रकार .01 विश्वास स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत पायी गयी। अर्थात सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति में सार्थक अंतर है। अतः परिकल्पना 3 स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

- इन संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है कारण कि बाल श्रमिक जिस तरह के सामाजिक परिवेश में रहते है उसी तरह के रहन–सहन तथा जीविकोपार्जन को पसंद करते है।
- इन संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है कारण कि बाल श्रमिक शिक्षा के महत्व को जानते है तथा शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते है परन्तु गरीबी के कारण ये रोजगार के लिए प्रयासरत रहते है।
- इन संस्थानों में अध्ययनरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति में सार्थक अंतर है कारण कि बाल श्रमिक अधिकतर गरीब परिवारों से होते है। अधिकाशतः बच्चे अपनी रोजी–रोटी कमाने के कारण विद्यालयों में ठीक प्रकार से पढ़ाई जारी नही कर पाते तथा ज्यादातर बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते है।

सुझाव

- बाल श्रम रोकने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन तथा कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का निर्माण।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्यरत बच्चों को निकालना और उपयुक्त संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को स्कूल में नामांकन नही कराने वाले या स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों पर भी गौर करना चाहिए और उन्हें शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधा प्रदान करानी चाहिए।
- सरकार द्वारा नागरिक समाज संगठनों, मीडिया, निगमों और नागरिकों के सहयोग से बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों और बाल अधिकारों में महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।

- बाल श्रम के पहलुओं जैसे इसके कारण, प्रभाव, कानूनी प्रावधानों और उन्मूलन के प्रयासों को समझने के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें।
- सरकार ओर एन.जी.ओ. द्वारा बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विश्लेषण करें।

निष्कर्ष

बाल श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति पर शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समस्या न केवल आर्थिक मुद्दों से जुड़ी है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पहलुओं से भी गहराई से संबंधित है। बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। जहां परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को काम करने पर मजबूर कर देतें है। इसके साथ ही, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता और रोजगार के अवसरों का अभाव भी इस समस्या को बढ़ावा देते है। बाल श्रमिक अक्सर ऐसी स्थितियों में काम करते हैं जहां उनका शोषण किया जाता है, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है, और काम की परिस्थितियां बेहद खतरनाक होती है।

सामाजिक दृष्टिकोण से, बाल श्रमिकों का समुदाय में एक अलग स्थान होता है। इन्हें समाज में उपेक्षित समझा जाता है और कई बार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यह समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, हालांकि इसके स्वरूप और कारण भिन्न हो सकते है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या आमतौर पर कृषि और पारंपरिक व्यवसायों में देखी जाती है, जबकि शहरी इलाकों में यह छोटे कारखानों, होटलों और घरेलू नौकरियों में दिखाई देती है।

बाल श्रमिकों की समस्या से जुड़े आर्थिक पहलू भी जटिल है कई परिवार अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर भेज देते है। शिक्षा का अभाव उन्हें असंगठित क्षेत्र में सीमित कर देता है, जहां भविष्य में भी वे कम वेतन पर निर्भर रहते है। बाल श्रम का दुश्चक्र का निर्माण करता है, जिसमें गरीब परिवारें की अगली पीढ़ी भी इसी स्थिति में फंसी रहती है।

इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब तक शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और अनिवार्य नहीं बनाई जाएगी, तब तक बाल श्रम की समस्या को खत्म करना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासें का अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। गरीब परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामाजिक सूरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन, और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है तथा इसके लिए सार्थक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली 2013 पृ० सं०–1
2. AAE-1(H) सार लेखन, प्रारूप और मसौदा सहायक लेखा अधिकारी 2013 पृ० सं०–1
3. सुशीला देवी यादव, बाल श्रम एक चुनौती, होमर फोकस, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रमिक समिति, अमेरिका Modern management, Applied Social Science vol.-04 Issue- 03 September 2022 Pg. 02

4. चाइल्ड लेबर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिटयूट 2000 पृ० सं०–1
5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली 2013 पृ० सं०–1
6. पाण्डेय बालेश्वर, श्रम कल्याण और औधोगिक सम्बन्ध, पब्लिशर्स जयपुर पृ० सं०–59–64
7. शर्मा सुभाष, बाल मजदूरी एक दृष्टिकोण, भारत में बाल मजदूर अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली, 2010 पृ० सं०–15–138
8. भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मत्रांलय, हमारा लक्ष्य बाल श्रम मुक्त भारत, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली 2017, पृ० सं०–1–2
9. विनिता खटूमरा, बाल श्रमः सभ्य समाज में एक अभिशाप Innovation the Research Concept, vol.-5 Issue- 11 December 2020 Pg. 15
10. डा. आराधना पांडे, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विधार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धि का सहसम्बन्धात्मक अध्ययन,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रियेटिव रिसर्च थॉट्स, अंक. 11 नवम्बर 2022, पृ० सं०–440।
11. डॉ. ए.बी. भटनागर, डॉ. मीनाक्षी भटनागर, डॉ. अनुराग भटनागर, शैक्षिक एवं मानसिक मापन, आर. लाल बुक. डिपो, बेगम ब्रिज रोड मेरठ, 2012, पृ० सं०–258।
12. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली 2013 पृ० सं०–1–3
13. डा, आर. ए. शर्मा शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर. लाल. बुक डिपों, बेगम ब्रिज रोड मेरठ, 2016
14. गैरेट हेनरी ई. 1978 मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, पारागन इंटरनेशनल पब्लिशर नई दिल्ली
15. ए. के. सिंह, मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, मोतीलाल बनारसी दास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, नई दिल्ली, 2012